

## कार्यालय अधिष्ठाता

सुंदरलाल पटवा शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, मंदसौर(म.प्र.)

निविदा विज्ञप्ति क्र.13/ SPGMC,Mandsaur/DME/2025,

मंदसौर,दिनांक 11/12/2025



**2025 - 26**

अधिष्ठाता, सुंदरलाल पटवा शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, मंदसौर के शासकीय कार्य में उपयोग हेतु वाहन किराये पर लिये जाने की चतुर्थ निविदा

**(चतुर्थ निविदा आमंत्रण)**

निविदा प्रपत्र का मूल्य: 500 /—(रूपये पांच सौ मात्र)

*Ranelli*

**DEAN**  
Sunder Lal Patwa  
Govt. Medical College  
MANDSAUR (M. P.)



कार्यालय अधिष्ठाता,  
सुंदरलाल पटवा शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, मंदसौर(म.प्र.)



Website: [www.spgmcmmandsaur.org](http://www.spgmcmmandsaur.org)

Email: [deanspgmcmmandsaur@gmail.com](mailto:deanspgmcmmandsaur@gmail.com)

**ONLINE TENDER SCHEDULE**

S.N.	Particulars	Schedule
1.	ऑनलाईन निविदा क्रय करने की प्रारम्भ तिथि एवं समय	12/12/2025, 10 AM
2.	प्री-बिड मीटिंग	15/12/2025, 3 PM
3.	ऑनलाईन निविदा जमा करने की प्रारम्भ तिथि एवं समय	12/12/2025, 11 AM
4.	ऑनलाईन निविदा क्रय करने की अंतिम तिथि एवं समय	02/01/2026, 4 PM
5.	ऑनलाईन निविदा प्रस्ताव जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय	02/01/2026, 5 PM
6.	ऑनलाईन निविदा खोलने की तिथि, समय तथा स्थान (टेंडर टेक्नीकल बिड)	05/01/2026 10 AM
7.	ऑनलाईन निविदा खोलने की तिथि, समय तथा स्थान (टेंडर प्राइज बिड)	06/01/2026, 10 AM

**1. कार्य का नाम:-**

अधिष्ठाता, सुंदरलाल पटवा शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, मंदसौर हेतु 01 नग वाहन किराये पर लिए जाने हेतु खुली चतुर्थ निविदा।

**2. निविदा प्रपत्र मूल्य:-**

राशि रु. 500/- का शुल्क ऑनलाईन जमा कर निविदा प्रपत्र क्रय किया जा सकेगा। निविदा प्रक्रिया निरस्त अथवा निविदा अस्वीकृत होने की दशा में यह राशि वापसी योग्य नहीं होगी।

**3. निविदा प्रपत्र का विक्रय:-**

निविदा प्रपत्र [www.mptenders.gov.in/nicgep/app](http://www.mptenders.gov.in/nicgep/app) से ऑनलाईन क्रय किया जा सकेगा।

**4. निविदा धरोहर राशि:-**


निविदाकर्ता को अग्रिम धरोहर राशि (Earnest Money Deposit) रु.10,000/- (रुपये दस हजार रुपये मात्र) ऑनलाईन जमा करनी होगी। सफल निविदाकार की धरोहर राशि निष्पादन प्रतिभूति (Performance Guarantee) की राशि जमा करने तक सुरक्षित रहेगी। असफल रहे निविदाकर्ताओं को अथवा निविदा प्रक्रिया के असफल होने पर निविदा धरोहर राशि नियमानुसार संबंधितों को ऑनलाईन वापिस की जावेगी।

**5. किराये पर लिए जाने वाले वाहन संबंधी अपेक्षाएं :-**

a) निविदाकर्ता फर्म/एजेंसी को निम्नानुसार लागत के वाहन किराये पर प्रदाय करने होंगे:-


प्रकार
सफेद रंग का वाहन जिसकी लागत अधिकतम रुपये (IDV) 12.00 लाख (Ex-Showroom Price) ( बड़ी या पूर्ण आकार की सेडान / एस.यू.वी मॉडल वाहन ) अथवा 18.00 लाख (Ex-Showroom Price) इलेक्ट्रिक वाहन ।

b) वाहन मुख्यालय पर उपयोग हेतु अधिकतम 800 कि.मी. प्रतिमाह की सीमा पर तथा प्रवास या विशेष परिस्थिति में 800 कि.मी. से अधिक चलने पर प्रति किलोमीटर की दर पर समस्त चार्जज (पेट्रोल/डीजल/वाहन चालक/मरम्मत/फास्टैग इत्यादि) सहित निर्धारित प्राधिकारी के कार्यालय में उपलब्ध कराना होगा।

  
**DEAN**  
Sunder Lal Patwa  
Medical College  
MANDSAUR (M.P.)

- c) उपलब्ध कराये जाने वाला वाहन वाणिज्यिक परिवहन यान (Commercial Vehicle) के रूप में दर्ज होना चाहिए तथा प्रदायकर्ता एजेंसी का मध्यप्रदेश राज्य के क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी (आर.टी.ओ.) कार्यालय में पंजीयन होना आवश्यक है।
- d) वाहन अधिकतम 3 वर्ष पुराना ही अनुबंध हेतु स्वीकार किया जावेगा।
6. निविदा का प्रारूप एवं प्रस्तुति विधि:-
- a) निविदाकर्ता फर्म/एजेंसी द्वारा निविदा प्रपत्र को अच्छी तरह से पढ़ने के उपरांत ऑनलाईन भरा जाना आवश्यक होगा। निविदा प्रपत्र में कोई सुधार एवं अधिलेखन मान्य नहीं होगा। यदि सुधार करना आवश्यक हो तो स्पष्ट रूप से पुनः लिखकर प्रमाणित करना होगा।
- b) निविदा ऑनलाईन एवं द्विस्तरीय होगी।
- c) निविदा प्रक्रिया का प्रथम स्तर तकनीकी निविदा है, जिसमें निविदाकर्ता/फर्म/एजेंसीको परिशिष्ट 1 में चाहे गये समस्त दस्तावेज के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर एवं फर्म की सील लगाकर अपलोड करना होगा।
- d) निविदा प्रक्रिया का द्वितीय स्तर वित्तीय निविदा है, जिसमें ऑनलाईन दरें उक्त अनुसार प्रस्तुत करना होगा।
7. प्री-बिड मीटिंग:-
- प्री-बिड मीटिंग का आयोजन अधिष्ठाता कार्यालय के कॉलेज काउंसिल हॉल में होगा। निविदाकर्ता फर्म/एजेंसीके अधिकृत प्रतिनिधि आपत्ति, सुझाव आदि दर्ज करा सकते हैं।
8. निविदा जमा करने की अंतिम तिथि:-
- विशेष परिस्थितियों में ऑनलाईन निविदा की अंतिम तिथि अधिष्ठाता, सुंदरलाल पटवा शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, मंदसौर द्वारा बढ़ाए जाने का निर्णय लिया जा सकता है।
9. निविदा खोलने का स्थान, तिथि एवं प्रक्रिया:-
- अधिष्ठाता, सुंदरलाल पटवा शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, मंदसौर (म.प्र.)के कॉलेज काउंसिल हॉल में निविदा खोलने हेतु गठित समिति के सदस्यों द्वारा उपस्थित निविदाकर्ताओं/प्रतिनिधि (यदि कोई हो) के समक्ष ऑनलाईन खोली जावेगी। यदि निविदा खोलने की दिनांक में अवकाश घोषित किया जाता है तो निविदा अगले कार्य दिवस में खोली जावेगी।
10. निविदा का परीक्षण एवं चयन प्रक्रिया:-
- a) निर्धारित तिथि पर ऑनलाईन प्राप्त समस्त निविदाओं के तकनीकी निविदा के भाग को खोला जावेगा।
- b) तकनीकी निविदा के मूल्यांकन उपरांत रिपोर्ट का प्रकाशन ऑनलाईन वेबसाइट पर किया जावेगा। मूल्यांकन रिपोर्ट प्रकाशन के उपरांत एक दिवस के भीतर प्राप्त आपत्तियों पर विचार किया जावेगा। समय सीमा के उपरांत प्राप्त आपत्तियों पर विचार नहीं किया जावेगा।
- c) तकनीकी निविदा के मूल्यांकन तथा प्राप्त दावा/आपत्तियों के निराकरण उपरांत सफल निविदाकर्ताओं की वित्तीय निविदाएं खोली जाएंगी। शेष निविदाकर्ता जो तकनीकी रूप से विफल होंगे, की वित्तीय निविदाएं नहीं खोली जावेगी।

Page 3 of 10

  
**DEAN**  
Sunder Lal Patwa  
Govt. Medical College  
MANDSAUR (M.P.)

- d) वाहन किराए की राशि में मुख्यालय पर भ्रमण हेतु फिक्स्ड (Fixed) चार्ज तथा मुख्यालय से बाहर भ्रमण हेतु Variable चार्ज प्रति किलोमीटर की दरों को पृथक-पृथक प्रस्तुत करना होगा। L1 का निर्धारण मुख्यालय पर भ्रमण हेतु फिक्स्ड (Fixed) चार्ज से किया जाएगा।
- e) उक्त निर्धारित शर्तों के अधीन उपयुक्तदर वाले तकनीकी रूप से सफल निविदाकार को एल-1 घोषित किया जावेगा।

एक से अधिक सफल एल-1 निविदाकर्ताओं की स्थिति में जिस निविदाकार के वाहन का मॉडल नवीन होगा उसे प्राथमिकता दी जावेगी मॉडल वर्ष समान होने की स्थिति में जिस निविदा कार द्वारा अधिक मूल्य का वाहन अनुबंध हेतु उपलब्ध कराया जाएगा उसे प्राथमिकता दी जावेगी।

प्राप्त न्यूनतम/द्वितीय न्यूनतम दर वाली फर्म को यथोचित कारण के साथ स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार अधिष्ठाता, सुंदरलाल पटवा शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, मंदसौर को होगा।

- a) निविदा प्रक्रिया के किसी भी चरण पर निविदा को निरस्त करने का अधिकार अधिष्ठाता, सुंदरलाल पटवा शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, मंदसौर को होगा।
- b) विवाद की स्थिति में अधिष्ठाता, सुंदरलाल पटवा शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, मंदसौर का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।
- c) किसी भी प्रकार की न्यायिक प्रक्रिया का केन्द्र सिर्फ न्यायालय मंदसौर ही रहेगा।

#### 11 अनुबंध:-

सफल एल-1 निविदाकार को अधिष्ठाता, सुंदरलाल पटवा शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, मंदसौर के साथ एक वर्ष के लिये निर्धारित वाहन किराये पर लगाने हेतु राशि रु 500/- के नोटराइज्ड स्टाम्प पर स्वयं के व्यय से निविदा के साथ संलग्न परिशिष्ट-3 के अनुसार अनुबंध निष्पादित करना अनिवार्य होगा।

#### 12 अनुबंध की समयावधि/समाप्ति:-

अनुबंध अवधि अनुबंध निष्पादन के दिनांक से प्रारंभ होकर प्रथमतः एक वर्ष की होगी। कार्य संतोषजनक पाए जाने की दशा में तथा अनुबंधित फर्म के आवेदन एवं सुंदरलाल पटवा शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय के वाहनशाखा के नोडल अधिकारी की अनुशंसा के आधार पर अनुबंध अवधि को आगामी एक-एक वर्ष हेतु दरों में बिना किसी परिवर्तन के बढ़ाई जा सकेगी। कार्य संतोषजनक न पाए जाने पर, एक माह का नोटिस देकर अनुबंध कभी भी समाप्त किया जा सकेगा।

अनुबंध की अवधि कुल तीन वर्ष से अधिक नहीं की जा सकेगी।




**DEAN**  
Sunder Lal Patwa  
Govt. Medical College  
MANDSAUR (M.P.)

## -:तकनीकी बिड हेतु दस्तावेजों की सूची:-

स. क्र.	आवश्यक दस्तावेज	निविदाकार के द्वारा भरा जावे।		परीक्षण समिति द्वारा भरा जावे।	
		हां	नहीं	हां	नहीं
1.	निविदा प्रपत्र की स्वप्रमाणित (एजेंसी की सील सहित) प्रति				
2.	ऑनलाईन जमा की गयी अग्रिम धरोहर राशि (Earnest Money Deposit) रू.10,000/- (रूपये दस हजार रूपये मात्र) की रसीद				
3.	ट्रेवल एजेंसी का मध्यप्रदेश राज्य के क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी (आर.टी.ओ.) मे जीवित पंजीयन				
4.	एजेंसी का PAN				
5.	एजेंसी का एक्टिव जी.एस.टी. पंजीयन				
6.	वाहन की संपूर्ण जानकारी जैसे क्रय का वर्ष, Ex- showroom price, वाहन का कलर, वाहनका मॉडल/कम्पनी नाम/मॉडल नंबर				
7.	परिशिष्ट -2 अनुसार घोषणा पत्र (अनिवार्य)				
8.	वित्तीय वर्ष 2021-22, 2022-23 एवं 2024-25 में फर्म का टर्न ओवर				
9.	वित्तीय वर्ष 2021-22, 2022-23 एवं 2023-24 में फर्म का आयकर रिटर्न				
10.	परिशिष्ट -4 अनुसार घोषणा पत्र (अनिवार्य)				
11.	अन्य कोई यदि हो तो				
परीक्षण समिति का अभिमत				..... (पात्र/अपात्र)	

नोट:- निविदाकर्ता फर्म/एजेंसी के पास उक्त समस्त दस्तावेजों की मूल प्रति होना अनिवार्य है।

  
**DEAN**  
Sunder Lal Patwa  
Govt. Medical College  
MANDSAUR (M.P.)

(रु 100/- के स्टाम्प पर नोटराइज्ड घोषणा पत्र संलग्न करना अनिवार्य है)

## // घोषणा पत्र //

मैं.....(निविदाकर्ता का नाम/फर्म/एजेंसी का नाम) पता.....शपथ पूर्वक सत्य घोषणा करता/करती हूँ कि मैंने निविदा प्रपत्र में उल्लेखित शर्तों को पूर्णरूप से भलि-भांति पढ़ तथा समझ लिया है।

मुझे सभी शर्तें पूर्णतः मंजूर हैं तथा मेरे द्वारा इस निविदा में दी गई जानकारी/संलग्नक पूर्णतः सत्य हैं। किसी भी जानकारी के असत्य/गलत पाएँ जाने पर मेरी निविदा तत्काल निरस्त करने तथा मेरे विरुद्ध विधि अनुसार कार्यवाही किये जाने हेतु सहमति प्रदान की जा रही है।

मेरी/हमारी फर्म/एजेंसी को किसी भी शासकीय/अर्द्धशासकीय/निगम/मंडल/स्वशासी संस्थानों द्वारा ब्लैक लिस्टेड नहीं किया गया है।

गवाह के हस्ताक्षर

1. पूरा नाम:-.....  
पता:-.....  
.....
2. पूरा नाम:-.....  
पता:-.....  
.....

हस्ताक्षर

निविदाकर्ता फर्म/एजेंसी का नाम.....  
पता:-.....  
.....  
मोबाईल नम्बर:-.....



**DEAN**  
Sunder Lal Patwa  
Govt. Medical College  
MANDSAUR (M.P.)

## (रूपये 500/- के स्टाम्प पर नोटराइज्ड अनुबंध पत्र)

—अधिष्ठाता, सुंदरलाल पटवा शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, मंदसौर के शासकीय कार्य के उपयोग हेतु किराये पर लगाए गए वाहन के अनुबंध की शर्तें—

प्रथम पक्षकार : .....

एवं

द्वितीय पक्षकार: अधिष्ठाता, सुंदरलाल पटवा शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, मंदसौर।

मैं/हम ..... (प्रथम पक्ष) निम्नलिखित शर्तों के अधीन अनुबंध पत्र निष्पादित करते हैं:-

1. प्रथम पक्षकार को अनुबंध निष्पादन करने के दिनांक से वाहन मय वाहन चालक तथा वाहन एवं चालक से संबंधित समस्त अभिलेख कार्यालय में उपलब्ध कराया जावेगा।
2. वाहन मुख्यालय पर उपयोग हेतु अधिकतम 800 कि.मी. प्रतिमाह की सीमा पर राशि रु. .... प्रतिमाह (समस्त चार्ज-पेट्रोल/डीजल/वाहन चालक/मरम्मत/फास्टैग इत्यादि सहित) रहेगी।
3. प्रवास या विशेष परिस्थिति में 800 कि.मी. से अधिक चलने पर प्रति किलोमीटर की दर रु. .... (समस्त चार्ज-पेट्रोल/डीजल/वाहन चालक/मरम्मत/फास्टैग इत्यादि सहित) रहेगी।
4. यह अनुबंध दिनांक ..... से दिनांक ..... तक एक वर्ष लागू रहेगा। सेवायें संतोषप्रद पाए जाने पर आपसी सहमति से सामान दरों एवं शर्तों पर सक्षम स्वीकृति उपरांत द्वितीय पक्षकार द्वारा आगामी एक-एक वर्ष तक (अधिकतम 3 वर्ष) के लिये बढ़ाया जा सकेगा।
5. वाहन का माईलोमीटर हमेशा चालू हालत में होना अनिवार्य है, जिसकी जिम्मेदारी प्रथम पक्षकार की होगी।
6. प्रथम पक्षकार को वाहन के साथ प्रशिक्षित ड्रायवर निर्धारित यूनिफार्म जिसके पास वैध ड्राईविंग लायसेंस हो, जिनका व्यवहार सौम्य, मधुर हो, जो शारीरिक रूप से स्वस्थ हो, उपलब्ध कराना होगा। वाहन चालक के चरित्र सत्यापन एवं पुलिस वेरीफिकेशन की समस्त जबाबदारी प्रथम पक्षकार की होगी। यदि वाहन चालक का चरित्र संदेहहास्पद पाया जाता है तो प्रथम पक्षकार को तत्काल उसे बदल कर दूसरा वाहन चालक उपलब्ध कराना होगा।
7. वाहन एवं वाहन चालक से संबंधित समस्त मूल दस्तावेज वाहन के साथ रखे जाने एवं एक प्रति कार्यालय में जमा कराना प्रथम पक्षकार की जिम्मेदारी होगी।
8. प्रथम पक्षकार को वाहन हमेशा दुरस्त (फिट) हालत में उपलब्ध करवाना होगा।
9. निर्धारित समय पर वाहन उपलब्ध नहीं कराने अथवा वाहन चालक अनुपस्थित होने की स्थिति में प्रथम पक्षकार द्वारा प्रस्तुत संबंधित माह के देयक से रु. 1000/- (एक हजार रुपये मात्र) प्रति दिवस के मान से द्वितीय पक्षकार द्वारा जुर्माना के रूप में राशि का कटौती किया जावेगा।
10. उपलब्ध कराये गए वाहन के खराब होने की दशा में प्रथम पक्षकार द्वारा 02 घंटे के भीतर संबंधित अन्य वाहन आवश्यक रूप से उपलब्ध करवाना होगा। निर्धारित समयावधि में वाहन उपलब्ध न कराने पर राशि

रु. 200/- प्रति घंटा के मान से अधिकतम रु. 1000/- प्रतिदिवस का कटौती द्वितीय पक्षकार द्वारा किया जावेगा।

11. प्रथम पक्षकार को उपलब्ध कराये गये वाहन की लॉगबुक संधारित करनी होगी जिस पर दैनिक चालन की पूर्ण स्थिति दर्शित रहेगी एवं उपयोगकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर प्रतिदिन प्राप्त करने होंगे। इस लॉगबुक में किसी भी प्रकार की काट-छांट होने पर उसे उपयोगकर्ता अधिकारी से सत्यापित कराना होगा।
12. अनुबंध पर उपलब्ध कराये गए वाहन को उपयोगकर्ता अधिकारी के कार्यालय/निवास पर खड़ा करना होगा।
13. वाहन से संबंधित समस्त मेंटेनेंस (टूट-फूट, डीजल-पेट्रोल, बेट्टरी आदि) की सम्पूर्ण जबाबदारी प्रथम पक्षकार की होगी एवं अनुबंध अवधि के दौरान यदि शासन द्वारा पेट्रोल, -डीजल आदि की दर में कोई वृद्धि की जाती है तो कोई अतिरिक्त राशि देय नहीं होगी।
14. प्रथम पक्षकार द्वारा वाहन के देयक माह के प्रत्येक 05 तारीख तक लॉग-बुक (आवृत्त अधिकारी के हस्ताक्षर सहित) जो कि स्पष्ट रूप से भरी गई हो, के साथ भुगतान हेतु द्वितीय पक्षकार के कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा।
15. देयक से नियमानुसार समय-समय पर प्रचलित आयकर (GST, TDS/ITDS)का कटौती करते हुए भुगतान माह की अवधि पूर्ण होने पर द्वितीय पक्षकार द्वारा किया जावेगा।
16. प्रथम पक्षकार द्वारा उपलब्ध कराये गये वाहन में फास्टैग लगाना अनिवार्य होगा। वाहन चालक के वेतन एवं अन्य समस्त भत्तों के व्यय की पूर्ण जवाबदारी प्रथम पक्षकार की होगी।
17. प्रथम पक्षकार द्वारा उपलब्ध कराये गये वाहन में किसी भी प्रकार गड़बड़ी (यथा गाड़ी की रीडिंग बढ़ाये जाने/माईलोमीटर में गड़बड़ी किये जाने एवं वाहन चालक कार्य एवं व्यवहार संबंधी शिकायत) एवं अन्य किसी भी प्रकार की शिकायत होने पर अधिष्ठाता, सुंदरलाल पटवा शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, मंदसौर द्वारा नियुक्त दल द्वारा शिकायत की पुष्टि पाये जाने पर प्रकरण को गंभीरता से लेते हुये तत्काल अनुबंध निरस्त करने की कार्यवाही की जावेगी।
18. फर्म/संस्था द्वारा उपलब्ध कराये गये वाहन को हटाने, परिवर्तित करने तथा वाहन सेवा को निरस्त करने के समस्त अधिकार अधिष्ठाता, सुंदरलाल पटवा शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, मंदसौर के पास सुरक्षित रहेगा।
19. वाहन चालक के पास 24 घण्टे चालू हालत में सेलफोन होना अनिवार्य है तथा वाहन में प्राथमिक चिकित्सा बाक्स होना आवश्यक होगा, जिसके संपूर्ण जबाबदेही प्रथम पक्षकार की होगी।
20. सामान्यतः वाहन चालक की सेवाएं प्रत्येक कार्य दिवस एवं आवश्यकता पर किसी अवकाश के दिन भी प्रथम पक्षकार द्वारा उपलब्ध कराया जाना होगा।
21. इसके अतिरिक्त विशेष परिस्थितियों जैसे- स्टेशन/एयरपोर्ट, बैठकों आदि के लिये वाहन चालक के अन्य विनिर्दिष्ट समय में निर्देशानुसार सेवा प्रदान करने की जिम्मेदारी प्रथम पक्षकार की होगी।
22. प्रथम पक्षकार को उपलब्ध कराये गये वाहन चालक के वेतन का भुगतान प्रत्येक माह की 10 तारीख तक करना अनिवार्य होगा।
23. शर्तों का उल्लंघन करने अथवा निर्देशानुसार वाहन उपलब्ध न कराने की स्थिति में बगैर किसी सूचना के सेवा समाप्त करते हुए निष्पादन प्रतिभूति को राजसात करने का अधिकार द्वितीय पक्षकार के पास सुरक्षित रहेगा।



24. किसी भी विवाद की स्थिति में अधिष्ठाता, सुंदरलाल पटवा शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, मंदसौर का निर्णय मान्य होगा।
25. न्यायिक विवाद की स्थिति में क्षेत्राधिकार जिला न्यायालय, मंदसौर में होगा।
26. उभय पक्षों की सहमति से शर्तों में संशोधन करने का अधिकार अधिष्ठाता, सुंदरलाल पटवा शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, मंदसौर के पास रहेगा।

स्थान:

दिनांक:

नाम, हस्ताक्षर, मोबाइल नम्बर, पता (प्रथम पक्षकार)	अधिष्ठाता, सुंदरलाल पटवा शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, मंदसौर (म.प्र.) (द्वितीय पक्षकार)
--	---

गवाह:—

1. ....

2. ....



**DEAN**  
Sunder Lal Patwa  
Govt. Medical College  
MANDSAUR (M.P.) Page 9 of 10

(रु 100/- के स्टाम्प पर घोषणा पत्र नोटरी कर संलग्न करना अनिवार्य है)

## // घोषणा पत्र //

मैं.....(निविदादाता का नाम/फर्म का नाम) पता.....शपथ पूर्वक सत्य घोषणा करता हूँ, कि मैंने ध्यान से निविदा प्रपत्र एवं निविदा प्रपत्र की शर्त पूर्णतः पढ़ ली है तथा मुझे सभी शर्त पूर्णतः मंजूर है तथा मेरे द्वारा दी गई जानकारी/संलग्नक पूर्णतः सत्य है। निविदा में सफल होने के पश्चात् अनुबंध के समय समस्त वाहन टेक्सी कोटे के 3 वर्ष से अधिक पुराना नहीं होगा, अन्यथा की स्थिति में मेरे द्वारा प्रस्तुत निविदा निरस्त को यदि निरस्त किया जाता है तो इसके लिये मैं स्वयं जिम्मेदार रहूँगा।

गवाह के हस्ताक्षर

3. पूरा नाम:-.....

.....

पता:-.....

.....

.....

.....

4. पूरा नाम:-.....

.....

पता:-.....

.....

हस्ताक्षर

निविदादाता फर्म का नाम.....

पता:-.....

मोबाईल नम्बर:-.....



**DEAN**  
Sunder Lal Patwa  
Govt. Medical College  
MANDSAUR (M.P.)